



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स व ट्रॉफोन -0761-2643182
Fax & Telephone - 0761-2643182

ई-मेल / e-mail: zone.central.soi@gov.in



अपर महासर्वेक्षक कार्यालय
OFFICE OF THE ADDL. S.G.
मध्य क्षेत्र Central Zone
सर्वे कॉलोनी, विजय नगर
Survey Colony, Vijay Nagar,
जबलपुर-482002 (म.प्र.)
Jabalpur - 482002 (MP)

No. 520 /37-G-9

Date – 06-11-2020

मध्य क्षेत्र, नेमी आदेश संख्या— 04 / 37-जी-9 दिनांक 06.11.2020

(1) सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति :-

भारत के महासर्वेक्षक के अदेशानुसार निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिक को सहायक के पद पर नियमित आधार पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 6 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है।

As per the order of Surveyor General of India, the undermentioned Upper Division Clerk is hereby promoted to the post of Assistant on regular basis with effect from the date shown against his name in Pay Matrix level – 6 as per the details shown here under :

क्र. सं.	नाम व पदनाम	पद जिस पर पदोन्नति किया गया	पदोन्नति पर पदस्थ कार्यालय	पदोन्नति की तिथि
01	श्री अरविंद सिंह, प्र.श्रै.लि. Sh. Arvind Singh, UDC	सहायक Assistant	मध्य क्षेत्र, जबलपुर Central Zone, Jabalpur	04.11.2020 (पूर्वान्ह) (F/N)

02. उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा सजा का मामला लंबित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं माने जाएंगे।
If any Vigilence/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.
03. उपरोक्त कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की तिथि से एक माह के अन्दर वेतन के निर्धारण हेतु एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अन्तर्गत 'इच्छा पत्र' प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
The employee has to submit an option for fixation of pay on his promotion under rule FR 22(I)(a)(1).
04. उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति पर उनके वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष म.प्र. भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र, जबलपुर द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त व्यय संबंधित कार्यालय के वर्ष 2020-21 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।
Pay will be fixed by E&AO, MPGDC in r/o above promoted employee and the expenditure involved will be met from within the sanction grant of MPGDC for the year 2020-21 and debited to the appropriate Head of Account.

[प्राधिकार: भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-2943/1354(सहायक/एच.सी.) दिनांक 02.11.2020.]

[Authority: SG's letter No.C-2943/1354(Assistant/H.C.) dated 02.11.2020.]

// // /

(2) एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करना :-

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08.06.2009 के
- अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में युप 'सी' स्थापना में एम.टी.एस के पद पर कार्यरत् इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल 3 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय	एम.ए.सी.पी के लाभ की तिथि
01	श्री जगदीश यादव आ० बाबूलाल यादव, एम.टी.एस.	मध्य क्षेत्र, जबलपुर	01.10.2020

02. एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उपरोक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिये एफ.आर. 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

03. उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे।

04. उपरोक्त कर्मचारी की पदोन्नति पर उनके वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष म.प्र. भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, जबलपुर द्वारा किया जाएगा। वेतन निर्धारण पर होने वाला अतिरिक्त व्यय संबंधित कार्यालय के वर्ष 2020-21 के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा और समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

[प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी-2890/1902-एम.ए.सी.पी (युप डी) दिनांक 21.10.2020]

(ब्रिगेडियर बी. सरीन चंद्र)

अपर महासर्वेक्षक

मध्य क्षेत्र (अति. प्र.)

वितरण :-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
- अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग/उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, चण्डीगढ़/पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर/उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ/दक्षिण-मध्य क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बैंगलोर/विशिष्ट सेवायें क्षेत्र, देहरादून/भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानवित्रण संस्थान, हैदराबाद।
- निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा जी.डी.सी., पुणे/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी., रायपुर/भौगोलिक सूचना पद्धति एवं सुदूर संवेदन निदेशालय, हैदराबाद/राष्ट्रीय जी.डी.सी., देहरादून/व्यवसाय एवं प्रचार निदेशालय, देहरादून/डी.एस.एस.डी.आई., दिल्ली/राजस्थान जी.डी.सी., जयपुर/पंजाब एवं चण्डीगढ़, जी.डी.सी., चंडीगढ़/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी., चंडीगढ़/हरियाणा जी.डी.सी., चंडीगढ़/जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी., जम्मू/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता/झारखण्ड जी.डी.सी., राँची/उडीसा जी.डी.सी., भुवनेश्वर/उत्तराखण्ड जी.डी.सी., देहरादून/मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी., शिलांग/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी., गुवाहाटी/त्रिपुरा व मणिपुर जी.डी.सी., सिलचर/गुजरात, दमन व दीव जी.डी.सी./उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ/बिहार जी.डी.सी., पटना/आंध्र प्रदेश जी.डी.सी., हैदराबाद/कर्नाटक जी.डी.सी., बंगलौर/तमिलनाडु पाण्डिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी., चैन्नई/केरल व लक्ष्मीपुर जी.डी.सी., तिरुअन्नतपूरम/सर्वेक्षण (हवाई) व दिल्ली जी.डी.सी., नई दिल्ली/उत्तरी मुद्रण वर्ग, देहरादून/दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता/पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली।
- निदेशक, मध्य प्रदेश जी.डी.सी. को सूचनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, कोलकाता।
- स्थापना एवं लेखाधिकारी (दो प्रतियाँ)।